

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 22 अप्रैल, 2015

विषय :- विभागीय कार्यवाही के मामलों का नियमानुसार निस्तारण।

महोदय,

सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने तथा दण्ड देने की प्रक्रिया का निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के द्वारा किया गया है। विभागीय कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-7/8/1977-कार्मिक-1, दिनांक 30.07.1977, शासनादेश संख्या-13/13/92-का-1/1993, दिनांक 10.02.1993 तथा शासनादेश संख्या-770/का-1-2011-13(1)2011, दिनांक 23.09.2011 निर्गत किये गये हैं।

2- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-3 के अनुसार शास्तियाँ दो प्रकार की हैं। लघु शास्तियाँ एवं दीर्घ शास्तियाँ। लघु शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण उक्त नियमावली के नियम-10 में प्राविधानित किया गया है। उपरोक्त नियमावली के नियम-2(घ) में "विभागीय जाँच" को परिभाषित किया गया है। "विभागीय जाँच" का तात्पर्य संदर्भित नियमावली के नियम-7 के अधीन की गयी जाँच से है। संबंधित कार्मिक के विरुद्ध लगाये जाने वाले आरोपों में जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी/दण्डन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि आरोप साबित होने पर संबंधित कार्मिक को दीर्घ शास्ति दिया जाना उपयुक्त नहीं होगा, अपितु केवल लघु शास्ति ही पर्याप्त है, ऐसी स्थिति में नियमावली के नियम-7 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जायेगा, बल्कि नियमावली के नियम-10 की प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। नियम-10 की प्रक्रिया एक सूक्ष्म प्रक्रिया है तथा स्वतः स्पष्ट है। परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी/दण्डन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि संबंधित कार्मिक के विरुद्ध आरोप साबित होने पर दीर्घ शास्ति/शास्तियाँ भी अधिरोपित की जा सकती हैं, तो नियमावली के नियम-7 में विहित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

3- शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उपर्युक्त नियमावली में विहित प्राविधानों का सम्यक् अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस तथ्य का संज्ञान मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

रिट याचिका संख्या-1314(एस0बी0)/2011 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम् आशीष निरंजन व अन्य एवं रिट याचिका संख्या-25240/2014 कप्तान सिंह बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश क्रमशः दिनांक 22.07.2011 एवं 14.05.2014 में भी लिया गया है।

4- उपर्युक्त नियमावली तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए एवं नियम-7 के तहत प्रारम्भ विभागीय जाँच के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण विषयक उपरोक्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा लिये गये निम्नलिखित निर्णय/प्रक्रिया से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :-

(1) किसी कार्मिक के विरुद्ध की जाने वाली जाँच हेतु जाँच अधिकारी पदनाम के आधार पर नियुक्त किया जाय, ताकि जाँच अधिकारी के स्थानान्तरण/प्रोन्नति/सेवानिवृत्ति आदि की दशा में पुनः जाँच अधिकारी की नियुक्ति की औपचारिकता में लगने वाले समय के कारण सम्भावित विलम्ब व श्रम से बचा जा सके।

जाँच से संबंधित स्थान पर तैनात अधिकारी को ही सामान्यतया जाँच अधिकारी नियुक्त किया जाय और यदि यह सम्भव न हो तो उस स्थान के निकटतम स्थान में नियुक्त अधिकारी को जाँच अधिकारी नियुक्त किया जाय, ताकि जाँच अधिकारी को जाँच के स्थान पर आने-जाने में कठिनाई न हो।

(2) आरोप पत्र यथाशीघ्र निर्गत किया जाय, जिसमें समस्त आरोप संक्षेप में अभिलिखित किये जायें। उल्लिखित आरोपों में किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए।

(3) आरोप पत्र के साथ प्रासंगिक अभिलेख/साक्ष्य भी अपचारी कार्मिक को उपलब्ध कराया जाय।

(4) यदि आरोप पत्र के साथ अभिलेखों/साक्ष्यों की प्रतियाँ देना युक्तिसंगत कारणों से सम्भव न हो पा रहा हो तो ऐसी स्थिति में अपचारी कार्मिक को अभिलेखों के निरीक्षण का अवसर प्रदान किया जाय। इसके लिए जाँच अधिकारी तिथि, समय तथा स्थान निर्धारित करेगा तथा अभिलेखों को देखने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा।

अपचारी कार्मिक से अपना लिखित स्पष्टीकरण 15 दिन से एक माह के अन्दर प्रस्तुत करने को कहा जायेगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में एक माह का और समय दिये जाने पर विचार कर लिया जाय, परन्तु किसी भी दशा में दो माह से अधिक समय न दिया जाय। अपचारी कार्मिक के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि अपचारी सरकारी सेवक को प्रशासकीय कार्यों में इस सीमा तक न लगाये रखें कि उसे यह कहने का मौका मिले कि वह अपने प्रशासकीय/शासकीय कार्य में व्यस्त होने के कारण समय से उत्तर नहीं दे सका। इस हेतु विभागीय कार्यवाही में आरोप पत्र देते समय ही नियंत्रक अधिकारी को यह निर्देश दे दिये जायें कि वे अपचारी सरकारी सेवक से निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करायें और इसके लिए उसे निर्धारित अवधि के भीतर समुचित समय अवश्य उपलब्ध करायें। यदि जाँच, पूर्व नियुक्ति के स्थान से सम्बन्धित है तो अपचारी सरकारी सेवक को उस स्थान पर जाने की अनुमति दे दी जाय, जहाँ उसे अभिलेख आदि देखने हों।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(5) आरोपित सरकारी सेवक से जवाब प्राप्त होने के पश्चात् जाँच अधिकारी जाँच की कार्यवाही हेतु तिथि, समय तथा स्थान निर्धारित करेगा। जाँच अधिकारी द्वारा आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसमें संबंधित व्यक्तियों/गवाहों से मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य सम्मिलित होंगे।

(6) मौखिक या लिखित साक्ष्य लेने के समय जाँच अधिकारी द्वारा अपचारी कार्मिक को गवाहों से प्रतिपरीक्षा (क्रास एग्जामिन) का अवसर दिया जायेगा। जाँच अधिकारी अपचारी कार्मिक को साक्ष्य के अंतर्गत दिये गये अभिलेखों की स्वीकार्यता के संबंध में आपत्ति प्रकट करने का अवसर भी देगा।

(7) जाँच में साक्ष्य लेने की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात् जाँच अधिकारी अपचारी कार्मिक को अपने बचाव हेतु समय, दिन और स्थान निर्धारित करेगा, जिसमें मौखिक और अभिलेखीय साक्ष्य सम्मिलित होंगे। इसके पश्चात् व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान करेगा। अधिकतम तीन माह के भीतर जाँच पूरी कर ली जाय।

(8) साक्ष्यों (विभागीय तथा अपचारी कर्मचारी दोनों के साक्ष्य) के विश्लेषण के पश्चात् जाँच अधिकारी अपने विवेक और ज्ञान के आधार पर आरोप साबित होते हैं अथवा नहीं साबित होते हैं, के संबंध में अपनी जाँच आख्या (जाँच अधिकारी के नियुक्ति प्राधिकारी/दण्डन प्राधिकारी से भिन्न होने पर) नियुक्ति प्राधिकारी/दण्डन प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(9) नियुक्ति प्राधिकारी/दण्डन प्राधिकारी जाँच आख्या का परीक्षण करेगा तथा जाँच अधिकारी की आख्या से सहमत होने पर अपचारी कार्मिक को एक कारण बताओ नोटिस, जिसके साथ जाँच आख्या की प्रति भी आवश्यक रूप से लगी हो, निर्गत करेगा तथा अपचारी कार्मिक को नोटिस का जवाब दो सप्ताह के भीतर देने को कहेगा। यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी देगा।

(10) यदि नियुक्ति प्राधिकारी/दण्डन प्राधिकारी जाँच अधिकारी की आख्या से सहमत नहीं है तब असहमति के संबंध में अपनी प्रस्तावित राय युक्तिसंगत कारणों के आधार पर देगा तथा अपचारी कार्मिक से अपनी प्रस्तावित राय पर दो सप्ताह के भीतर उत्तर की अपेक्षा करेगा। यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी देगा।

(11) आरोपित सरकारी सेवक का अभ्यावेदन प्राप्त होने या अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि बीतने, जैसी भी स्थिति हो, के पश्चात् अथवा सुनवाई के पश्चात् अथवा दोनों के पश्चात् जिन मामलों में लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है, वहाँ दो सप्ताह के अन्दर नियुक्ति प्राधिकारी/दण्डन प्राधिकारी के द्वारा अन्तिम आदेश जारी किया जाय।

जिन मामलों में लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है, वहाँ दण्डादेश पारित करने के पूर्व प्रकरण लोक सेवा आयोग को परामर्शार्थ संदर्भित किया जाय और उनसे छः सप्ताह के अन्दर परामर्श प्राप्त किया जाय तथा परामर्श प्राप्त होने के पश्चात् दो सप्ताह के भीतर दण्डादेश पारित कर दिया जाय।

(12) जाँच की कार्यवाही में आरोप सिद्ध करने का भार विभाग के ऊपर ही होगा तथा आरोप सिद्ध न होने पर अपचारी कार्मिक को अपने निर्दोष होने का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(13) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 (यथासंशोधित) के अनुसार श्री राज्यपाल द्वारा दिये जाने वाले निम्नलिखित दण्डों के संबंध में लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त किया जायेगा :-

(एक) वेतनवृद्धि रोकना,

(दो) सरकार को हुई आर्थिक हानि की पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वेतन या पेंशन से वसूली,

(तीन) पदावनति,

(चार) सेवा से हटाया जाना,

(पाँच) सेवा से पदच्युत किया जाना,

(छः) पेंशन से सम्बद्ध नियमों के अधीन ग्राह्य पेंशन को कम किया जाना या रोकना या प्रत्याहरण:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्यपाल द्वारा आज्ञा संविधान के अनुच्छेद-311 के खण्ड (2) के परन्तुक (ग) के अधीन या राज्यपाल अथवा उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स (एडमिनिस्ट्रटिव ट्रिव्यूनल), रूल्स, 1947 के अधीन दी जाती है या सत्यनिष्ठा का प्रमाण-पत्र रोके जाने के फलस्वरूप वेतनवृद्धि रोकी जाती है तो आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी मामले में आयोग ने पहले ही किसी प्रक्रम पर आज्ञा दिये जाने के बारे में परामर्श दे दिया हो और राज्यपाल की राय में उसके बाद निर्णयार्थ कोई नया महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा न हुआ हो, तो राज्यपाल द्वारा अन्तिम आज्ञा दिये जाने से पहले आयोग से पुनः परामर्श करना आवश्यक न होगा।

(14) किसी विभागीय जाँच की कार्यवाही के फलस्वरूप एक से अधिक दण्ड दिये जाने के आदेश पृथक-पृथक निर्गत नहीं किये जायेंगे। एक या एक से अधिक दण्ड दिये जाने की स्थिति में भी दण्डादेश का प्रभाव समेकित रूप से एक ही माना जायेगा।

(15) सेवा से हटाना अथवा सेवा से पदच्युत किये जाने के आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगे। तात्कालिक प्रभाव की तिथि वह होगी जब आदेश संबंधित कार्मिक को संसूचित कर दिया जाय। संसूचित किये जाने की विधि यथास्थिति, निम्नवत् होगी :-

(क) आदेश व्यक्तिगत रूप से सरकारी सेवक को प्राप्त करा दिया जाय।

(ख) उक्त (क) के अनुसार संभव न होने पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कार्यालय अभिलेखों में उल्लिखित पते पर तामील कर दी जाय। तामिली की तिथि वह होगी जिस तिथि को आदेश तामिली के लिए डाक के हवाले कर दिया जाय और सक्षम अधिकारी को उस आदेश में कोई परिवर्तन करने का अधिकार न रह जाय।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अनुसार भी तामिली संभव न होने पर आदेश को व्यापक परिचालन वाले किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा ।

(16) विभागीय कार्यवाही एवं आपराधिक मामले की कार्यवाही पृथक-पृथक अथवा साथ-साथ की जा सकती है। इस सम्बंध में आपराधिक आरोप की प्रकृति एवं अन्य सुसंगत तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त दण्डन प्राधिकारी द्वारा समुचित निर्णय लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(17) यदि किसी अनियमितता/आरोप के विषय में कार्यवाही प्रारम्भ होने के पश्चात् दण्ड देकर अथवा बिना दण्ड दिये एक बार मामला अन्तिम रूप से समाप्त हो गया है तो ठीक उसी अनियमितता या आरोप के आधार पर किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध पुनः दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

(18) फौजदारी (क्रिमिनल) मामले में यदि किसी सरकारी सेवक को क्रिमिनल चार्ज के कारण न्यायालय द्वारा दिये गये दण्ड के आधार पर सेवा से पदच्युत या हटाया जाता है तो उस कार्यवाही को करने से पूर्व "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-311(2) के अनुसार किसी जाँच की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी सरकारी सेवक को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक आरोप (क्रिमिनल चार्ज) के आधार पर दण्डित कर दिया जाता है तथा सम्बन्धित कर्मचारी ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या अन्य किसी सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर दी है तो अपील के फैसले की प्रतीक्षा किये बिना या अपील दायर न होने की दशा में अपील दायर किये जाने की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा किये बिना संबंधित सरकारी सेवक को सेवा से पदच्युत (डिसमिस) अथवा हटाया (रिमूव) जा सकता है। यदि अपील में सरकारी सेवक दोषमुक्त हो जाता है तो अपील के निर्णय के पहले उसके विरुद्ध सेवा से पदच्युत अथवा हटाये जाने की जो कार्यवाही की गयी है वह अवैध होगी।

(19) यदि विभागीय जाँच की कार्यवाही के लम्बित रहते हुए आरोपित सरकारी सेवक अपनी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो जाता है तो लम्बित जाँच को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के तहत पेंशन से कटौती के लिए जारी रखा जा सकता है, परन्तु सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता है और न ही उक्त दण्ड के उद्देश्य से कार्यवाही प्रारम्भ की/जारी रखी जा सकती है।

(20) यदि सेवानिवृत्ति के पश्चात् कोई तथ्य सामने आये तो सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के तहत कार्यवाही की जा सकती है, बशर्ते कि जिस घटना के सम्बंध में जाँच प्रारम्भ की जाय, जाँच प्रारम्भ करने की तिथि को उस घटना को चार वर्ष से अधिक समय न बीत चुका हो।

(21) सरकारी धन का गबन या दुर्विनियोजन आदि होने पर दोषी सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में शासकीय धन की क्षति की सम्पूर्ण वसूली किये जाने हेतु प्रथम चरण में ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्पूर्ण धन की क्षति की वसूली सम्भव है अथवा नहीं। यदि यह सम्भव न हो तो तत्परता से सक्षम न्यायालय के माध्यम से उस सरकारी सेवक से सिविल लायबिलिटी के रूप में उक्त हानि की धनराशि वसूल करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(22) जाँच अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 तथा उपरोक्तानुसार स्पष्ट की गयी स्थिति के अनुसार जाँच न किये जाने की दशा में इसे अपने शासकीय दायित्वों के प्रति उदासीनता मानते हुए प्रतिकूल तथ्य के रूप में देखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(23) अपचारी कार्मिक को दण्ड दिये जाने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी जाँच के संबंध में उपरोक्तानुसार वर्णित व्यवस्था का पालन किये जाने की स्थिति का संज्ञान लेगा तथा उसके द्वारा इस संबंध में पर्याप्त सतर्कता बरती जानी चाहिए।

उपरोक्त समय-सारणी सुविधा के लिए निर्धारित की गयी है। अतः प्रत्येक मामले में उक्त समय-सारणी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी मामले में उपरोक्त समय-सारणी का पालन सम्भव नहीं है तो उन कारणों का उल्लेख सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किन्हीं कारणों से उपरोक्त समय-सारणी के अनुसार प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पाता है तो इससे अपचारी कार्मिक किसी अनुतोष का हकदार नहीं होगा।

5- कृपया शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने/कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
आलोक रंजन
मुख्य सचिव ।

संख्या-1/2015/13/9/98(1)/का-1-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
3. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री जी।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. वेब मास्टर/वेब अधिकारी, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने के प्रयोजनार्थ ।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
राजीव कुमार
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।